कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर

क्रमांक : लेखा / 2022–23 / 205 दिनांक : 04-5-2022

–: विज्ञप्ति नीलामी अनुपयोगी सामान :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अनुपयोगी / नकारा फर्नीचर आईटम्स की सार्वजनिक नीलामी जहॉं है, जैसा है की स्थिति में दिनांक 16.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे की जानी है। इच्छुक बोलीकर्ता 5000 / – रूपये नकद एवं पेन कार्ड, जी.एस.टी., आधार की फोटो प्रति नीलामी के दिवस को कार्यालय में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी कार्यालय प्रांगण में दिनांक 16.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे की जायगी। सभी नकारा सामान का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। नकारा सामान की सूची एवं शर्तें जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर महानगर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jodhpur metro पर उपलब्ध है।

नीलामी में भाग लेने वाली फर्म / व्यक्ति / संस्था का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

क्र.स.	सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य	Earnest Money
1	लोहे / लकड़ी के अनुपयोगी फर्नीचर आईटम्स	2.50 लाख	5000 / –

अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जोधपुर महानगर।

कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर

क्रमांक : लेखा/2022–23/ 205 दिनांक 04-5-2022

–: :नीलामी शर्ते ::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर के न्यायक्षैत्र के एवं अधीनस्थ न्यायालयों के नकारा सामान जैसे अलमारी, लोहे व लकड़ी के टैबल–कुर्सी इत्यादि सामग्री की (जो जैसी स्थिति में है) नीलाम की जानी है। नीलामी कार्यालय प्रांगण में दिनांक 16.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी। सभी नकारा सामान का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। नीलामी की शर्तो की सूचना कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

1. नकारा समान नीलामी समिति द्वारा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 16.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) की धरोहर राशि जमा करानी होगी साथ ही पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, तत्पश्चात् टोकन जारी किया जायेगा।
2. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य की 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि सामान उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी।
3. नीलामी अधिकारी को बिना बताये नीलामी तिथी स्थगित करने का या अन्तिम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. नीलामी की अन्य शर्तें वक्त नीलामी कमेटी द्वारा बोलकर, पढकर अवगत करवा दी जाएगी।
5. नीलामी की तिथी को अवकाश होने पर नीलामी आगामी कार्यदिवस को सम्पन्न होगी।
6. बोली उपरान्त सफल बोलीदाता को सामग्री दो दिवस में कार्यालय परिसर से अपने स्वयं के खर्चे/स्तर पर उठवाना आवश्यक है अन्यथा जमा 25 प्रतिशत राशि जब्त मानी जाएगी।
7. बोली में असफल रहे बोलीदाताओं को जमा धरोहर राशि मौके पर ही लौटा दी जाएगी।
8. नीलामी की अधिकतम बोली देने वाले के नाम, नीलामी समाप्त करना या नहीं करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन हैं।
9. जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार नहीं होगी उनके द्वारा जमा राशि 5000/– रूपये की धरोहर राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दी जायेगी।
10. नीलामी बोली लगने के पश्चात् सामान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी नीलामी अधिकारी को होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
12. स्वीकृत दर/राशि पर बोलीदाता को जीएसटी व अन्य देय कर पृथक से जमा करवाने होगे व इसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगीं व रसीद जमा करवाने के पश्चात् ही नीलामी योग्य सामान उठवाया जाएगा।
13. नीलामी संबंधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
14. नीलामी के सम्बंध में समस्त विवाद का न्यायक्षेत्र जोधपुर रहेगा।

अध्यक्ष
नकारा सामान निस्तारण कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर